प्रेषक,

संख्या :-2186/43-2-2009

अनीता सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 16 नवम्बर, 2009.

विसायः- लोक प्राधिकरण (Public Authority) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचनाओं के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूरे भारत वर्ष में (जम्मू कश्मीर को छोडकर) 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है। अधिनियम की धारा 4(1)(ए) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अपने सभी रिकार्ड सम्यक रूप से अनुक्रमणिकाबद्ध (Catalogued) और सूचीपत्रित (Indexed) ढंग से रखने चाहिए ताकि आवेदक तक सूचना की पहुँच को सुलभ बनाया जा सके। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम में उल्लिखित 16 श्रेणियों की सूचनाओं का विवरण मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर अपने- अपने कार्यालय में रखा जाना है ताकि जनता को अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। लोक प्राधिकरण प्रकाशन के लिए अधिनियम में उल्लिखित 16 प्रकार की सूचना श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी भी निर्धारित कर सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सूचना का प्रकाशन वैकल्पिक नहीं है। यह एक विधिक बाध्यता है जिसे पूरा करना प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिए आवश्यक है। सूचनाओं का एक बार प्रकाशन कर देना पर्याप्त नहीं है। लोक प्राधिकरणों को अपनी सूचनाओं को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करते रहना चाहिए।

अतः मूझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विभाग एवं आपके विभाग के अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) में उल्लिखित सूचनाओं को प्रकाशित कर उसकी प्रतियॉ जनता के अवलोकनार्थ कार्यालय में रखने का कष्ट करें तथा इसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।